



2026:AHC:8392

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 171 वर्ष 2026

सैयद जहीर नकवी @ सैयद हसन जहीर नकवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनुज मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. प्रतिवादी गणों के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज मिश्र, के साथ ही साथ राज्य के ओर से उपस्थित अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को भी सुना।
2. दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और रिट याचिका के अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाए।
3. पक्षकारों की सम्मति से रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्हें 23.06.1995 को उर्दू अनुवादक-सह वरिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसके तहत वेतनमान को 4000?6000 रुपये तक अपग्रेड किया गया था और निर्धारण वित्तीय पुस्तिका के मौलिक नियम 22-बी (1) के अनुसार किया जाना था। रिट याचिकाकर्ताओं को सेवा पूरी होने पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2400 रुपये तक का उच्च वेतन दिया गया और उन्हें पदोन्नत किया गया और वेतन वृद्धि दी गई। पदनाम को उर्दू अनुवादक-सह कनिष्ठ लिपिक से बदलकर कनिष्ठ सहायक कर दिया गया और उसके बाद याचिकाकर्ता के पद को बदलकर उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक कर दिया गया। 15 वर्ष की सेवा पूरी होने पर, उन्हें 2800 के ग्रेड पे में अपग्रेड किया गया। इसके बाद, समय-समय पर शासकीय आदेश जारी किए गए और लाभ प्रदान किए गए और दूसरा सुनिश्चित करियर प्रगति भी प्रदान किया गया।

5. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अब 02.03.2025 को, प्रतिवादी संख्या 5, पुलिस उपायुक्त अपराध गौतम बुद्ध नगर ने याचिकाकर्ताओं के वेतन को पूर्वव्यापी रूप से फिर से निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े हैं और प्रतिलाभ का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत 01.07.2024 से वेतनमान घटाकर 53,600 रुपये कर दिया गया है।

6. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका को वरीयता दी है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलिल देते हुए मांग की है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि यह याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एक पक्षीय है और मामले में शीर्ष न्यायालय के जनादेश के विरुद्ध है, **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइटर वाशर) 2015 एआईआर (एससी) 1267** और **थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य और अन्य, (2022) लाइव लॉ (एससी) 438**, में आगे प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई सुधार किया जाना था, तो याचिकाकर्ताओं को नोटिस में रखा जाना चाहिए था और इस संबंध में निर्णय पर भरोसा किया गया है।

8. **भगवान शुक्ल बनाम भारत संघ (1994) 6 एससीसी 154** में, निम्नलिखित देखा गया था "3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह तय किया गया था, इस पर विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये पैन से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। 1991 में पूर्वव्यापी रूप से 18.12.1970 से। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों के साथ देखा गया है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के विरुद्ध कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा उनका वेतन कम करने से पहले उन्हें नोटिस भी नहीं दिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था और विधि के अनुसार ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी पीठ पीछे आदेश दिया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। कार्रवाई में निष्पक्ष कार्रवाई इस बात की गारंटी देती है कि ऐसा कोई आदेश जिसमें किसी कर्मचारी के नागरिक परिणामों को भुगतने का प्रभाव हो, संबंधित को नोटिस दिए बिना और मामले में उसे सुनवाई दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि, ऐसा नहीं किया गया था, आदेश (जापन) दिनांक 25.7.1991, जिसे अधिकरण से पहले आरोपित किया गया था, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सका और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में गलती कर गया। अधिकरण का आदेश अपास्त किए जाने के योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ अधिकरण के समक्ष दिनांक 25.7.1991 के आदेश (जापन) को अपास्त करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता के मूल वेतन को 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था। ”

9. दूसरी ओर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियोक्ता होने के नाते प्रतिवादियों के लिए यह हमेशा खुला है कि यदि कोई त्रुटि हुई है तो राशि की प्रतिलाभ की जा सकती है। हालांकि, उनके अनुसार, औचित्य का आदेश है कि याचिकाकर्ताओं को नोटिस देना चाहिए था।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

11. जाहिर है, रिट याचिकाकर्ताओं को कुछ लाभ दिए गए थे, जिन्हें अब उनके नुकसान के लिए कम कर दिया गया है। आदेश के परिशीलन से पता चलेगा कि रिट याचिकाकर्ताओं को नोटिस दिया गया था; कुछ भी आगे नहीं आ रहा है, और धोखाधड़ी, छिपाने या दुर्व्यपदेशन का कोई आरोप नहीं है।

12. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को नोटिस नहीं दिया गया था और वे उक्त प्रलाभों के लिए पात्र और स्वीकार्य हैं, रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाता है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- A. पुलिस उपायुक्त, अपराध गौतम बुद्ध नगर (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा पारित दिनांक 02.03.2025 के आदेश को अपास्त किया जाता है। रिट याचिकाकर्ता को नोटिस और उसका जवाब मांगने के बाद मामले को एक नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारियों को वापस भेज दिया गया है।
- B. संपूर्ण कवायद दो माह के भीतर की जाएगी। इसके बाद, रिट याचिकाकर्ताओं की कटौती की गई राशि का भी भुगतान किया जाएगा, जो पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के परिणाम के अधीन है।

आदेश दिनांक: जनवरी 13, 2026

ए. प्रजापति

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।